

15199

RTI REQUEST DETAILS (आरटीआई अनुरोध विवरण)			
Registration Number (पंजीकरण संख्या) :	DOTEL/R/2018/50380/3	Date of Receipt (प्राप्ति की तारीख) :	09/05/2018
Type of Receipt (रसीद का प्रकार) :	Online Receipt	Language of Request (अनुरोध की भाषा) :	English
Name (नाम) :	Akash Srivastava	Gender (लिंग) :	Male
Address (पता) :	P & T Colony, , Type-1, House no.-121, Sec-K., Aliganj, Lucknow, Pin:226024		
State (राज्य) :	Uttar Pradesh	Country (देश) :	India
Phone Number (फोन नंबर) :	+91-2745990	Mobile Number (मोबाईल नंबर) :	+91-9760366605
Email-ID (ईमेल-आईडी) :	flyhigh.akash@gmail.com		
Status (स्थिति) (Rural/Urban) :	Urban	Education Status :	
Is Requester Below Poverty Line ? (क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है?) :	No	Citizenship Status (नागरिकता)	Indian
Amount Paid (राशि का भुगतान) :	0 (Received by Department of Telecommunications) (original recipient)	Mode of Payment (भुगतान का प्रकार)	Payment Gateway
Request Pertains to (अनुरोध निम्नलिखित संबंधित है) :	Manish Gupta, Dir(SEA)		
Information Sought (जानकारी मांगी) :	<p>To, The Public Information Officer, Dept. Of Telecommunication, New Delhi Subject: Subject : Request for Information under Right to Information Act, 2005. Sir/Madam, Kindly find the attachment.</p> <p>Thanks & Regards, Akash Srivastava, P & T Colony, Type-1, House no.-121, Sec-K.</p>		

15 198

Aliganj, Lucknow

To,
The Public Information Officer,
Dept. Of Telecommunication,
New Delhi
Subject: Subject : Request for Information under Right to
Information Act, 2005.

**Original RTI Text (मूल
आरटीआई पाठ):**

Sir/Madam,
Kindly find the attachment.

Thanks & Regards,
Akash Srivastava,
P & T Colony,
Type-1, House no.-121, Sec-K,
Aliganj, Lucknow

सेवा में,


लोक सूचना अधिकारी,
दूरसंचार विभाग,
नई दिल्ली

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराये।

- (1) दूरसंचार विभाग, कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा, के किसी भी कार्यालय में अगर किसी नियंत्रक का स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में हो जाता है एवम उस पद पर किसी दूसरे नियंत्रक के आने में कुछ दिन शेष है तो उस समयवधि के अंतराल में लिंक अफिसर (नियंत्रक) को प्रदान की गई शक्तियों/अधिकारों का उल्लेख करें।
- (2) दूरसंचार विभाग, कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा, के किसी भी कार्यालय में अगर किसी नियंत्रक का स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में हो जाता है एवम उस पद पर किसी दूसरे नियंत्रक के आने में कुछ दिन शेष है तो उस समयवधि के अंतराल में लिंक अफिसर (नियंत्रक) उस कार्यालय के किसी भी कर्मचारी पर लगभग 2 वर्ष पुरानी लगी हुई नियम-16 की चार्जशीट पर निर्णय दिये जा सकने के अधिकारों/शक्तियों का उल्लेख करें।

Date:-09.May 2018

From:-

 Akash, Srivastava,

P & T Colony,
Type-1, House no -121, Sec-K,
Aliganj Lucknow-226024
Mb.No. - 9760366605

18
202

फ.सं33-01/2017-एस ई ए-1s
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20, अशोका रोड,
नई दिल्ली - 110 001

दिनांक: 18.06.2018

सेवा में


श्री आकाश श्रीवास्तव,
पी एंड टी कालोनी,
टाइप - 1, हाउस नं - 1212,
सैक्टर अलीगंज, लखनऊ - 226024

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री आकाश श्रीवास्तव के दिनांक
09.05.2018 के आर टी आई आवेदन के संबंध में।

उपरोक्त संबंध में आपके आवेदन दिनांक 09.05.2018 के पैरा 1 और 2 का उत्तर नीचे दिया
गया है।

पैरा नं.	मांगी गई सूचना	उत्तर
1.	दूरसंचार विभाग, कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा, के किसी भी कार्यालय में अगर किसी नियंत्रक का स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में हो सकता है एवम उस पद पर किसी दूसरे नियंत्रक के आने में कुछ दिन शेष है तो उस समयावधि से अंतराल में लिंक आफिसर (नियंत्रक) को प्रदान की गई शक्तियों/अधिकारों का उल्लेख करे।	लिंक अधिकारी को सामान्यतः प्रभारी अधिकारी के समकक्ष सभी शक्तियाँ अधिकार प्राप्त हैं। स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि शामिल हैं अतः सैक्शन 2(f) के अनुसार सूचना अधिकार अधिनियम अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
2.	दूरसंचार विभाग, कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा, के किसी भी कार्यालय में अगर किसी नियंत्रक का स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में हो सकता है एवम उस पद पर किसी दूसरे नियंत्रक के आने में कुछ दिन शेष है तो उस समयावधि से अंतराल में लिंक आफिसर (नियंत्रक) उस कार्यालय के किसी भी कर्मचारी पर लगभग 2 वर्ष पुरानी लगी हुई नियम 16 की चार्जशीट पर निर्णय दिए जा सकने के अधिकारों/शक्तियों का उल्लेख करे।	

2. अगर आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप श्री अभय कुमार सिंह, उपमहानिदेशक (ई एंड टी) एवं प्रथम अपिलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं।


18/6
(मनीष कुमार गुप्ता)
निदेशक (एस. ई. ए)

एवं केन्द्रिय लोक सूचना अधिकारी


18/6/2018